Email

न्यायालय–श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन
जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

क्रमांकः– 941 /आप./23 खरगोन, दिनांकः– 27/06/2023

--// आपराधिक कार्य विभाजन ज्ञापन वर्ष–2023//--

मैं श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन, जिला पश्चिम निमाड, मध्य प्रदेश खरगोन माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रं 8565/तीन–2–3/74 दिनांक 12/3/1977 के निर्देशानुसार तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में प्रसारित आदेशों को अतिष्ठित (सुपरसीड) करते हुए, इस न्यायिक जिला मण्डलेश्वर (खरगोन) में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक कार्य विभाजन कर क्षैत्राधिकार की स्थानीय सीमाएँ निश्चित् करती हूँ।

यह आदेश दिनांक **05/07/2023** से प्रभावशील होगा।

क.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	क्षेत्राधिकार	सौंपा गया आपराधिक कार्य
1	**श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन,**	**1 आरक्षी केन्द्र खरगोन** **2 आरक्षी केन्द्र मेनगांव** **3 यातायात थाना खरगोन** **4. सम्पूर्ण जिला खरगोन से संबंधित अन्य अधिनियमों के मामलें**	1. आरक्षी केन्द्र **खरगोन, मेनगांव, यातायात** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. **सिटी कोतवाली, मेनगांव, भगवानपुरा, बिस्टान, उन, गोगांवा, बरूड** के क्षेत्राधिकार के धारा 138 परकाम्य लिखत अधि0 के आपराधिक प्रकरण **(जिनमें चेक राशि 20,00,001/– रूपये या उससे अधिक हो।)** 3. तेजाब फैककर क्षति या उपहति कारित करने विषयक आपराधिक प्रकरण। 4. अति. क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी खरगोन द्वारा प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 5. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 तथा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. कॉपीराईट एक्ट के प्रकरण। 7. राजस्व **तहसील खरगोन, भगवानपुरा, गोगावॉ एवं सेंगॉव** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधि0 2000 के तहत् (धारा–34(2), 49–ए सहित) प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 8. आरक्षी केन्द्र **खरगोन, गोगांवा, बरूड, भगवानपुरा,**

			बिस्टान, उन तथा मेनगांव की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न धारा 354, 354क, ख, ग, घ, 493 से 498 ए बी सी 509 एवं महिलाओं के विरूद्ध होने वाले ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के साथ किये जा सकते है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय हो, ऐसे अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां **(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम व धारा 125, 125(3) को छोडकर)।** 9. राजस्व तहसील **खरगोन** अंतर्गत निर्धारित सीमाओ से उद्भुत **फारेस्ट लॉ(वन अधिनियम) तथा पर्यावरण कानून** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचारण एवं निराकृत किये जावेगे। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक बी./1473 दि.18.09.2019) के अनुसार** 10. सिनेमाटोग्राफ एक्ट से संबंधित समस्त मामलें। 11. केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) एक्ट 1989 से संबंधित समस्त मामलें। 12. माईन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट से संबंधित आरक्षी केंद्र खरगोन, मेनगांव, ऊंन, बरूड़, गोगांवा, बिस्टान एवं भगवानपुरा तथा राजस्व तहसील खरगोन, भगवानपुरा, गोगांवा एवं सेंगाव के समस्त मामलें। 13. श्रम विधि/कारखाना अधिनियम से संबंधित मामलें। 14. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियां। 15. दुकान एवं संस्थान अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत प्रकरण। 16. खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रकरण। 17. आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण। 18. नगर पालिका अधि. 1961 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 19. औषधी एवं प्रसाधन अधिनियम के प्रकरण। 20. धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रकरण। 21. जिले के समस्त थानों से संबंधित ई.आर. (खारिजी)। 22. काईम ब्रांच, सी.आई.डी. सायबर ब्रांच एवं अन्य समस्त

			जांच ऐजेंसियां, जिनका उल्लेख इस आदेश में नहीं है, के द्वारा प्रस्तुत समस्त खात्मा, खारिजी। 23. ऐसे अधिनियमों या नियमों से संबंधित मामले जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन ज्ञापन में नहीं है लेकिन जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारण योग्य हो।
2	**श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन, पश्चिम निमाड	**आरक्षी केन्द्र भगवानपुरा एवं बरूड़**	1. म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन को है, को छोडकर आरक्षी केन्द्र **भगवानपुरा (भगवानपुरा के पूर्ववर्ती ग्रामों को छोडकर) एवं बरूड़** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. **सिटी कोतवाली खरगोन, मेनगांव, भगवानपुरा एवं ऊन, बिस्टान, गोगांवा व बरूड़** के क्षेत्राधिकार के धारा 138 परकाम्य लिखत अधि0 के प्रकरण **(जिनमें चेक राशि 10,00,001/– या उससे अधिक एवं 20,00,000/– रूपये तक हो)** 3. आरक्षी केन्द्र **खरगोन** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न धारा 12 घरेलु हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम व धारा 125, 125(3) व अन्य भरण–पोषण, वसूली योग्य प्रकरण। 4. **तहसील खरगोन** स्थित रिक्त न्यायालयो की निष्पादन कार्यवाहीया व स्थायी वारण्ट एवं वरिष्ट न्यायालयो से रिमांड होकर/अन्यथा आने वाले प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ। 5. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
3	**श्रीमती अंजली पटेल** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन, पश्चिम निमाड	**आरक्षी केन्द्र गोगांवा**	1. म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन को है, को छोडकर आरक्षी केन्द्र **गोगांवा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. **सिटी कोतवाली खरगोन, मेनगांव, भगवानपुरा, बिस्टान, उन, गोगावॉ, बरूड़** के क्षेत्राधिकार के धारा 138 परकाम्य लिखत अधि0 के प्रकरण **(जिनमें चेक राशि 5,00,001/– रूपये या उससे अधिक एवं 10,00,000/– रूपये तक हो।)** 3. आरक्षी केन्द्र **मेनगांव** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न धारा 12 घरेलु हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम व धारा

			125, 125(3) व अन्य भरण–पोषण, वसूली योग्य प्रकरण। 4. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
4	**श्री राज पांडे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन, पश्चिम निमाड खरगोन, म.प्र.,	**आरक्षी केन्द्र ऊन एवं बिस्टान**	1. म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के तहत् प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन को है, को छोडकर आरक्षी केन्द्र **ऊन एवं बिस्टान** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. **आरक्षी केन्द्र खरगोन, मेनगांव, भगवानपुरा, बिस्टान, उन, गोगावॉ, बरूड** के क्षेत्राधिकार के धारा 138 परक्राम्य लिखत अधि0 के प्रकरण **(जिनमें चेक राशि 1/– रूपये या उससे अधिक एवं 5,00,000/– रूपये तक हो।)** 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
5	**श्री विवेक जैन** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसरावद	**आरक्षी केन्द्र कसरावद एवं बलकवाडा**	1. आरक्षी केन्द्र **कसरावद व बलकवाडा एवं थाना मेनगांव के पूर्ववर्ती ग्रामों** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **कसरावद व बलकवाडा एवं थाना मेनगांव के पूर्ववर्ती ग्रामों** की सीमाक्षेत्र तथा **आबकारी वृत्त** कसरावद की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के तहत् (धारा–34(2), 49–ए सहित) प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 3. आरक्षी केन्द्र **कसरावद व बलकवाडा एवं थाना मेनगांव के पूर्ववर्ती ग्रामों** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 4. राजस्व तहसील **कसरावद** अंतर्गत निर्धारित सीमाओ से उद्भुत **फारेस्ट लॉ (वन अधिनियम)** तथा **पर्यावरण कानून** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचारण एवं निराकृत किये जावेगे। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक बी./1473 दि.18.09.2019) के अनुसार** 5. आरक्षी केन्द्र **कसरावद व बलकवाडा एवं थाना मेनगांव के पूर्ववर्ती ग्रामों** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण।

			6. तहसील **कसरावद** के रिक्त न्यायालयों की निष्पादन कार्यवाहीयां व स्थायी वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमांड होकर/अन्यथा आने वाले प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 7. माइन्स एवं मिनरल एक्ट से सबंधित आरक्षी केंद्र **कसरावद** एवं **बलकवाड़ा** तथा राजस्व तहसील **कसरावद** के समस्त मामले। 8. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना ।
6	**श्री राकेश भिड़े** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भीकनगांव एवं न्यायाधीकारी ग्राम न्यायालय भीकनगांव	**1. आरक्षी केन्द्र भीकनगांव, भगवानपुरा (के पूर्ववर्ती ग्राम)** **2. ग्राम न्यायालय अधि0 2008** **3. आरक्षी केन्द्र चैनपुर** **4. आरक्षी केन्द्र गोगांवा की अहिरखेडा चौकी**	1. आरक्षी केन्द्र **भीकनगांव, चैनपुर, आरक्षी केंद्र गोगांवा की अहिरखेडा चौकी, भगवानपुरा (के पूर्ववर्ती ग्राम) की सीमा क्षेत्र से** उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. राजस्व तहसील **भीकनगाव** अंतर्गत निर्धारित सीमाओ से उद्भुत **फारेस्ट लॉ (वन अधिनियम)** तथा **पर्यावरण कानून** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचारण एवं निराकृत किये जावेगे। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्टी ज्ञापन कमांक बी./1473 दि.18.09.2019) के अनुसार** 3. (मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय) संपूर्ण थाना क्षेत्र से उत्पन्न ग्राम न्यायालय अधिनियम से संबंधित आपराधिक कार्यवाहिया जो माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के अदेशानुसार। 4. **आरक्षी केन्द्र भीकनगॉव, चैनपुर, गोगांवा की अहिरखेडा चोकी एवं भगवानपुरा** के (पूर्ववर्ती ग्राम) तथा **आबकारी वृत्त भीकनगॉव** से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के तहत् (धारा–34(2), 49–ए सहित) प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 5. आरक्षी केन्द्र **भीकनगांव, चैनपुर, थाना गोगावां की अहिरखेडा चौकी एवं भगवानपुरा (के पूर्ववर्ती ग्राम)** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण। 6. आरक्षी केन्द्र **भीकनगांव, चैनपुर, थाना गोगावां की अहिरखेडा चौकी एवं भगवानपुरा (के पूर्ववर्ती ग्राम)** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधि0 के प्रकरण। 7. थाना **भीकनगांव, चैनपुर, थाना गोगावां की अहिरखेडा चौकी एवं भगवानपुरा (के पूर्ववर्ती ग्राम)** के

			क्षेत्राधिकार के रिक्त न्यायालयों के स्थायी वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमांड होकर/अन्यथा आने वाले प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 8. माइन्स एवं मिनरल एक्ट से संबंधित आरक्षी केंद्र **भीकनगांव, चैनपुर** एवं **गोगावॉ की अहिरखेडा चौकी** तथा राजस्व तहसील **भीकनगांव** एवं **झिरन्या** के समस्त मामले। 9. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
7	**श्री सुशील गहलोत** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सनावद	**आरक्षी केन्द्र सनावद**	1. आरक्षी केन्द्र **सनावद** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. राजस्व तहसील **सनावद** अंतर्गत निर्धारित सीमाओ से उद्भुत **फारेस्ट लॉ(वन अधिनियम) तथा पर्यावरण कानून** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचारण एवं निराकृत किये जावेगे। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक बी./1473 दि.18.09.2019) के अनुसार** 3. आरक्षी केन्द्र **सनावद तथा आबकारी वृत्त– सनावद** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के तहत् (धारा–34(2), 49–ए सहित) प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 4. आरक्षी केन्द्र **सनावद** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 5. आरक्षी केन्द्र **सनावद** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 6. आरक्षी केन्द्र **सनावद** के क्षेत्राधिकार के **रिक्त न्यायालयों** की निष्पादन कार्यवाहियां व स्थायी वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमांड होकर/अन्यथा आने वाले प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 7. माइन्स एवं मिनरल एक्ट से सबंधित आरक्षी केंद्र **सनावद, बेडिया** तथा राजस्व तहसील सनावद के समस्त मामले। 8. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना ।

8	**सुश्री पूर्वी तिवारी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सनावद	**आरक्षी केन्द्र बेडिया**	1. आरक्षी केन्द्र **बेडिया** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **बेडिया** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के तहत् (धारा–34(2), 49–ए सहित) प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 3. आरक्षी केन्द्र **बेडिया** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 4. आरक्षी केन्द्र **बेडिया** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 5. आरक्षी केन्द्र **बेडिया** के क्षेत्राधिकार के **रिक्त न्यायालयों** की निष्पादन कार्यवाहियां व स्थायी वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमांड होकर/अन्यथा आने वाले प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 6. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना ।
9	**कु. विकसिता मरकाम** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वाह	**आरक्षी केन्द्र बडवाह**	1. आरक्षी केन्द्र **बडवाह** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **बडवाह तथा आबकारी वृत्त–बडवाह** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के तहत् (धारा–34(2), 49–ए सहित) प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 3. आरक्षी केन्द्र **बडवाह** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 4. राजस्व तहसील **बडवाह** अंतर्गत निर्धारित सीमाओ से उद्भुत **फारेस्ट लॉ(वन अधिनियम)** तथा **पर्यावरण कानून** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचारण एवं निराकृत किये जावेगे। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक बी./1473 दि.18.09.2019) के अनुसार** 5. माइन्स एवं मिनरल एक्ट से सबंधित आरक्षी केंद्र **बड़वाह एवं बलवाड़ा** तथा राजस्व तहसील बड़वाह के समस्त मामले।

			6. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
10	**सुश्री आरती सिंह** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वाह	**आरक्षी केन्द्र बलवाडा**	1. आरक्षी केन्द्र **बलवाडा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **बलवाडा** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के तहत् (धारा–34(2), 49–ए सहित) प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 3. आरक्षी केन्द्र **बलवाडा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है। 4. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
11	**श्री मुकेश कौरी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वाह		1. आरक्षी केन्द्र **बडवाह, बलवाडा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 2. तहसील **बडवाह** के रिक्त न्यायालयों की निष्पादन कार्यवाहीयां व स्थायी वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमांड होकर/अन्यथा आने वाले प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
12	**श्री महेन्द्र सिंह** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर एवं न्यायाधीकारी ग्राम न्यायालय मण्डलेश्वर टेलीफोन नम्बर	**1. आरक्षी केन्द्र मण्डलेश्वर** **2. ग्राम न्यायालय अधि0 2008**	1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों जिनमें विचारण की अधिकारिता ग्राम न्यायाधिकारी मण्डलेश्वर को है एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोडकर आरक्षी केन्द्र **मण्डलेश्वर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **मण्डलेश्वर** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के तहत् (धारा–34(2), 49–ए सहित) प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 3. आरक्षी केन्द्र **मण्डलेश्वर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण । 4. आरक्षी केन्द्र **मण्डलेश्वर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधि0 के प्रकरण । 5. राजस्व तहसील **महेश्वर (आरक्षी केन्द्र महेश्वर एवं**

			करही की सीमाओ को छोडकर) अंतर्गत निर्धारित सीमाओ से उद्भुत **फारेस्ट लॉ(वन अधिनियम)** तथा **पर्यावरण कानून** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचारण एवं निराकृत किये जावेगे। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्टी ज्ञापन कमांक बी./1473 दि.18.09.2019) के अनुसार** । 6. माइन्स एवं मिनरल एक्ट से सबंधित आरक्षी केंद्र मण्डलेश्वर तथा टप्पा मण्डलेश्वर के समस्त मामले। 7. न्यायालय **मण्डलेश्वर** के क्षेत्राधिकार के रिक्त न्यायालयों की निष्पादन कार्यवाहीयां व स्थायी वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमांड होकर/अन्यथा आने वाले प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ। 8. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।
13	**श्री जितेन्द्र रावत,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महेश्वर	**आरक्षी केन्द्र महेश्वर, करही**	1. ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों जिनमें विचारण की अधिकारिता ग्राम न्यायाधिकारी मण्डलेश्वर को है, एवं ऐसे विविध अधिनियम के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, को छोडकर आरक्षी केन्द्र **महेश्वर, करही** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र **महेश्वर, करही तथा आबकारी वृत्त–महेश्वर** की सीमाक्षेत्र के म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन अधिनियम 2000 के तहत् (धारा–34(2), 49–ए सहित) प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ। 3. राजस्व तहसील **महेश्वर (आरक्षी केन्द्र मण्डलेश्वर की सीमाओ को छोडकर)** अंतर्गत निर्धारित सीमाओं से उद्भुत **फारेस्ट लॉ(वन अधिनियम)** तथा **पर्यावरण कानून** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचारण एवं निराकृत किये जावेगे। **(माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्टी ज्ञापन कमांक बी./1473 दि.18.09.2019) के अनुसार** 4. थाना **महेश्वर, करही** के क्षैत्राधिकार से उत्पन्न समस्त वन विभाग से संबंधित सम्पूर्ण आपराधिक प्रकरण। 5. आरक्षी केन्द्र **महेश्वर, करही** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण जिनमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्या.मजि.प्र.श्रे. को प्राप्त है।

			6. आरक्षी केन्द्र **महेश्वर, करही** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। 7. थाना **महेश्वर, करही** के क्षेत्राधिकार के रिक्त न्यायालयों की निष्पादन कार्यवाहीयां व स्थायी वारंट एवं वरिष्ठ न्यायालयों से रिमांड होकर आने वाले प्रकरण। 8. माइन्स एवं मिनरल एक्ट से सबंधित आरक्षी केंद्र महेश्वर व करही तथा राजस्व तहसील महेश्वर के समस्त मामले। 9. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणो का विधिवत् निराकरण करना।

<u>सामान्य आदेशः–</u>

1. इस कार्य विभाजन पत्रक से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
2. इस आदेश निर्वहन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।
3. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।
4. माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार तहसील मंडलेश्वर, भीकनगांव के ग्रामीण क्षेत्र के वे सभी प्रकरण जो उक्त अधिसूचना के अनुसार ग्राम न्यायालयों के द्वारा विचारण योग्य है, वे सभी प्रकरण ग्राम न्यायालयों के समक्ष ही प्रस्तुत किये जावेंगे।
5. एक से अधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट पदस्थ होने पर उस स्थान पर आपराधिक प्रकरणों का केन्द्रीय पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संधारित पंजी में किया जावेगा।
6. जिले में पदस्थ प्रत्येक मजिस्ट्रेट सार्वजनिक अवकाशों मे समान रूप से दोपहर 3 से 5 बजे तक आवश्यक रिमाण्ड डयूटी करेंगे।

   <u>नोट–</u> <u>किसी न्यायालय का आवश्यक कार्य में निम्नलिखित कंडिका 7, 8, 9 में उल्लेखित कार्य माने जावेंगे।</u>
7. रिमांड, जमानत, उपस्थित माफी आवेदन, वाहन, सुपुर्दगीनामा एवं धारा 164 द0प्र0सं0 के आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों के सशक्त होने पर समरी प्रकिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करना चाहता है।
8. ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना जो वृद्धावस्था तथा बीमारी अथवा दूरस्थ स्थान से सम्मन या वारंट पर उपस्थित हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित आना अत्यन्त व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हो और जहॉ से उसे आहूत करना असुविधाजनक व असंभव होगा ऐसे प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरात उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापिस करेंगे।
9. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगें, जो समरी प्रकिया के तहत् विचारणीय हो एवं अभियुक्त दोषसिद्धी का अभिवाक् करने हेतु तत्पर हो, ऐसे मामलों का पंजीकरण निराकरण करने वाले न्यायालय में ही होगा।
10. संबंधित मजिस्ट्रेट माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति एवं सी0जे0एम0 से निर्देश प्राप्त करके अपनी अधिकारिता में चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
11. मोटर वाहन दुघर्टना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लाइसेंस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे।
12. वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों के जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।

13. धारा 138 एन0आई0एक्ट के मामलों में वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर धारा 138 एन0आई0एक्ट के अंतर्गत संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तत होंगे एवं उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।

14. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उर्पापण कार्यवाही के दौरान उर्पापण आदेश पारित किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी भी रिकार्ड के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्धेमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे। धारा 306, 304–बी भादवि के प्रकरणों में एफ0एस0एल0 रिपोर्ट की उपलब्धता भी देख ली जावे।

15. जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

16. विचाराधीन बण्डल फाइल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जे0एम0एफ0सी0 के न्यायालय में भेजे जावे।

17. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेटों की रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

18. संबंधित मजिस्ट्रेट अपने–अपने आरक्षी केन्द्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले खारजी के अतिरिक्त समस्त अंतिम प्रतिवेदन खात्मा स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।

19. न्यायिक स्थापना जिला मण्डलेश्वर प0निमाड खरगोन जिले के सभी थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले अंतिम प्रतिवेदन (Final Report) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किये जायेंगे, जिन्हें संबंधित थाने से उद्भुत प्रकरणों के विचारण का अधिकार है। लेकिन न्यायिक स्थापना जिला मण्डलेश्वर पश्चिम निमाड खरगान जिले के किसी भी थाना क्षेत्र के प्रकरण समाप्ति रिपोर्ट (Expunge Report) (जिसमें पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध बनना न पाया गया हो) का निराकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा किया जायेगा।

20. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे प्रकरणों के अभियोग–पत्र एवं विविध आपराधिक प्रकरण नहीं लेंगे जिनके विचारण का अनन्य क्षेत्राधिकार म0प्र0 ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय का प्राप्त है।

21. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश व मुख्यालय से बाहर रहने के आवेदन पत्र श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, को सी0जे0एम0 के माध्यम से प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।

22. दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलेख संलग्न सूची कमांक–1 अनुसार किया जावेगा।

23. धारा–340 द0प्र0सं0 के न्यायिक जिला मण्डलेश्वर के अंतर्गत आने वाले परिवाद पत्र सी.जे.एम. के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

24. न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर/पद रिक्त होने पर/अनुपस्थित रहने की दशा में आवश्यक कार्यभार अनुसूची कमांक–2 के अनुसार कार्य संपादित करेंगे।

(पदमा जाटव 27/6/23)
(पदमा जाटव तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन
जिला–मण्डलेश्वर म.प्र.

स्थान – खरगोन
दिनांक 27/06/2023
संलग्न – अनुसूची कमांक 1 एवं 2

अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर

Principal District & Sessions Judge
West Nimar, Mandleshwar (M.P.)

न्यायालयः–श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन, प0नि0

—// अनुसूची कमांक 1 //—

धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथनों के अभिलेखों का कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा दिनांक 05/07/23 से निम्नानुसार संपादित किया जावेगा।

क	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभारी न्यायालय का नाम	द्वितीय प्रभारी न्यायालय का नाम	तृतीय प्रभारी न्यायालय का नाम
1	बिस्टान, मेनगॉव एवं भगवानपुरा एवं महिला थाना खरगोन (केवल महिलाओ के विरूद्ध कारित आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन के सुनबाई क्षेत्राधिकार के हो)	श्री राजेंद्र कुमार अहिरवार न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्रीमती अंजली पटेल न्या.म.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री राज पांडे न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
2	उन, खरगोन, बरूड एवं गोगावॉ (अहिरखेडा चौकी को छोडकर) (केवल महिलाओं के विरूद्ध कारित आपराधिक मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन के सुनवाई क्षेत्राधिकार के हो)	श्रीमती अंजली पटेल न्या.म.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री राजेंद्र कुमार अहिरवार न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्री राज पांडे, न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
3	आरक्षी केंद्र खरगोन, मेनगाव, भगवानपुरा, गोगांवा, बरूड़, बिस्टान एवं ऊन के बाल न्यायालय से संबंधित	श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्री राज पांडे, न्या0मजि. प्र0श्रे0 खरगोन	श्रीमती पद्मा राजोरे तिवारी मु0न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
4	ऊन, बिस्टान	श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्रीमती अंजली पटेल न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्रीमती पद्मा राजोरे तिवारी मु0न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
5	गोगावॉ (अहिरखेडा चौकी को छोडकर)	श्री राज पांडे, न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री राजेंद्र कुमार अहिरवार न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्रीमती पद्मा राजोरे तिवारी मु0न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
6	खरगोन, मेनगांव,	श्रीमती अंजली पटेल न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री राजेंद्र कुमार अहिरवार न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्री राज पांडे न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
7	भगवानपुरा, बरूड़	श्री राज पांडे, न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्रीमती अंजली पटेल न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन
8	कसरावद एवं बलकवाडा	श्री महेन्द्र सिंह न्या0मजि0प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	श्री जितेन्द्र रावत न्या0मजि.प्र0श्रे0 महेश्वर	श्री राज पांडे न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन

10	भीकनगॉव	श्रीमती अंजली पटेल न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन	श्री राज पांडे न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
11	चैनपुर एवं आरक्षी केन्द्र गोगावॉ की अहिरखेडा चौकी	श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्री राज पांडे न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन	श्रीमती अंजली पटेल न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन
12	सनावद	सुश्री पूर्वी तिवारी, न्या0मजि0प्र0श्रे0 सनावद	कु. विकसीता मरकाम, न्या0मजि.प्र0श्रे0 बडवाह	श्रीमती आरती सिंह, न्या0मजि0प्र0श्रे0 बडवाह
13	बेडिया	श्री सुशील गेहलोत, न्या.मजि.प्र.श्रे. सनावद	श्री मुकेश कौरी, न्या0मजि0प्र0श्रे0 बडवाह	कु. विकसीता मरकाम, न्या0मजि.प्र0श्रे0 बडवाह
14	बडवाह	श्रीमती आरती सिंह, न्या0मजि0प्र0श्रे0 बडवाह	श्री मुकेश कौरी, न्या0मजि0प्र0श्रे0 बडवाह	सुश्री पूर्वी तिवारी, न्या0मजि0प्र0श्रे0 सनावद
15	बलवाडा	कु. विकसीता मरकाम, न्या0मजि.प्र0श्रे0 बडवाह	श्री मुकेश कौरी, न्या0मजि0प्र0श्रे0 बडवाह	श्री सुशील गेहलोत, न्या.मजि.प्र.श्रे. सनावद
16	मण्डलेश्वर	श्री जितेन्द्र रावत न्या0मजि.प्र0श्रे0 महेश्वर	श्री विवेक जैन न्या0मजि. प्र0श्रे0 कसरावद	श्री राज पांडे न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
17	महेश्वर	श्री महेन्द्र सिंह न्या0मजि0प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	श्री विवेक जैन न्या0मजि. प्र0श्रे0 कसरावद	श्रीमती अंजली पटेल न्या.मजि.प्र.श्रेणी खरगोन
18	करही	श्री महेन्द्र सिंह न्या0मजि0प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	श्री विवेक जैन न्या0मजि. प्र0श्रे0 कसरावद	श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार न्या0मजि.प्र0श्रे0 खरगोन
19	अजाक थाना खरगोन	श्री महेन्द्र सिंह न्या0मजि0प्र0श्रे0 मण्डलेश्वर	श्री जितेन्द्र रावत न्या0मजि.प्र0श्रे0 महेश्वर.	श्री विवेक जैन न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी कसरावद

नोटः–

1. पाक्सौ एक्ट के अंतर्गत मामले में भी उपरोक्तानुसार कथन लिये जावे।
2. उपरोक्त अनुसार तीनों प्रभारी के अवकाश पर रहने पर प्रभार अनुसूची क्रमांक–2 के अनुसार लागू होंगी।

स्थान – खरगोन
दिनांक 27/06/2023

27/6/23

(पद्मा राजोरे तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन,
पश्चिम निमाड (म0प्र0)

न्यायालयः— श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन जिला पश्चिम निमाड़, मध्य प्रदेश

——// अनुसूची कमांक 2 //——

मैं श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन, जिला पश्चिम निमाड, मध्य प्रदेश खरगोन जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश/पद रिक्त(स्थांनातरण होने के आलोक में)अथवा अनुपस्थिति की दशा में उनके न्यायालयों के आवश्यक आपराधिक कार्यभार के संबंध में **वर्ष— 2023** हेतु निम्नानुसार कार्य व्यवस्था के लिये आदेशित करती हूँ :—

क	न्यायालय का नाम	न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/पदरिक्त/अनुपस्थिति में कार्य करने वाले प्रभारी न्यायालयों के नाम		
1	**श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी** सी.जे.एम. खरगोन	**श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्रीमती अंजली पटेल** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री राज पांडे,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
2	**श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्रीमती अंजली पटेल** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री राज पांडे,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी** सी.जे.एम. खरगोन
3	**श्रीमती अंजली पटेल** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री राज पांडे,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी** सी.जे.एम. खरगोन
4	**श्री राज पांडे,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्रीमती अंजली पटेल** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्रीमती पद्मा राजौरे तिवारी** सी.जे.एम. खरगोन
5	**श्री राकेश मिडे** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी भीकनगाव	**श्रीमती अंजली पटेल** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन	**श्री राज पांडे,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
6	**श्री विवेक जैन** न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी कसरावद	**श्री महेन्द्र सिंह,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर	**श्री जितेन्द्र रावत** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर	**श्रीमती अंजली पटेल** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
7	**श्री जितेन्द्र रावत** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर	**श्री महेन्द्र सिंह,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर	**श्री विवेक जैन** न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी कसरावद	**श्री राज पांडे,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन
8	**श्री महेन्द्र सिंह,** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी मण्डलेश्वर	**श्री जितेन्द्र रावत** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी महेश्वर	**श्री विवेक जैन** न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी कसरावद	**श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार** न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी खरगोन

9	श्री सुशील गहलोत न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	श्री पूर्वी तिवारी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	सुश्री आरती सिंह, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	कु. विकसीता मरकाम, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह
10	श्री पूर्वी तिवारी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	श्री सुशील गहलोत न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद	कु. विकसीता मरकाम, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	श्री मुकेश कौरी, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह
11	कु. विकसीता मरकाम न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	सुश्री आरती सिंह, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	श्री मुकेश कौरी, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	श्री सुशील गहलोत न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद
12	सुश्री आरती सिंह, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	श्री मुकेश कौरी, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	कु. विकसीता मरकाम न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	श्री पूर्वी तिवारी न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद
13	श्री मुकेश कौरी, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	कु. विकसीता मरकाम न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	सुश्री आरती सिंह, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बडवाह	श्री सुशील गहलोत न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी सनावद

नोट– अनुसूची 2 का यह प्रभार किशोर न्यायालय बोर्ड के अनुपस्थिति की दशा में भी लागू होगा।

स्थान – खरगोन
दिनांक 27/06/2023

27/6/23

(पदमा राजौरे तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन, पश्चिम निमाड